

28

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
मिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रक0क्र0-1019/09

संस्थित दिनांक-29.12.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-मिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

रघुराज पुत्र बैजनाथसिंह राजपूत उम्र 31 साल

निवासी किटी थाना मौ जिला मिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 21.04.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.11.09 को समय लगभग 19 बजे, मौ स्योढा पेट्रोल पंप के सामने रोड पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा मय कारतूस रखे पाया गया जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लायसेंस नहीं था।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ में दिनांक 30.11.09 को पदस्थ थाना प्रमारी जे0आर0 जुमनानी इलाका गश्त पर गए थे जहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मौ स्योढा रोड पेट्रोल पंप के पास 315 बोर का कट्टा लिए कोई वारदात करने की नियत से खड़ा है। उक्त सूचना से बताए गए स्थान पेट्रोल पंप के पास आए तो एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के पास खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा, उसकी कमर में बांयी तरफ पैंट के अंदर एक 315 बोर का देशी हाथ का बना कट्टा लोडेड हालत में मिला। व्यक्ति से उसका लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया, नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। अभियुक्त से जब्तीकर जब्ती पत्रक तथा उसे घटनास्थल से गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक तैयार किए। तत्पश्चात् थाना आकर अप0क्र0-203/09 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

हो. के. के. के. के.
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 गोहद जिला मिण्ड

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -


1. क्या अभियुक्त दिनांक 30.11.09 को समय लगभग 19 बजे, मौ स्योढा पेट्रोल पंप के सामने रोड पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा मय कारतूस रखे पाया गया जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लायसेंस नहीं था ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में शिवनारायण सिंह अ0सा0 1, अंसार खां अ0सा0 2, मनोज जैन अ0सा0 3, मुन्नीलाल मौर्य अ0सा0 4, राजकिशोर अ0सा0 5, जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता जे0आर0 जुमनानी अ0सा0 6 के रूप में परीक्षित कराए गए हैं जो यह कथन करते हैं कि दिनांक 30.11.09 को वे थाना प्रमारी मौ के पद पर पदस्थ थे। साक्षी यह कथन करते हैं कि उक्त दिनांक को दौराने इलाका गश्त जयें मुखबिर से उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि मौ स्योढा रोड पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति 315 बोर का कट्टा लिए वारदात करने की नियत से खड़ा है। फोर्स के साथ पेट्रोल पंप के पास आए तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर खिसकने (भागने) लगा। साक्षी द्वारा हमराह फोर्स नन्हूसिंह एएसआई, प्र0आर0 मुन्नीलाल, आरक्षक शिवनारायण व तेजसिंह की मदद से पकड़ा, तलाशी लेने पर पैट की बांयी तरफ 315 बोर का देशी हाथ का बना हुआ कट्टा मिला जिसे चैक करने पर उसमें एक 315 बोर का कारतूस लगा था। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। उससे कट्टा रखने का लायसेंस (अनुज्ञप्ति) चाहे जाने पर न होना बताया। तत्पश्चात् कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी01 बनाए जाने जिस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं तथा अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक 2 बनाए जाने और उस पर भी अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत कट्टा व कारतूस आर्टिकल ए-1 व ए-2 को देखकर बताते हैं कि वे ही आग्नेय आयुध अभियुक्त से जब्त किए थे।

7. प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक के अन्य साक्षी अंसार खां अ0सा0 2 एवं शिवनारायण अ0सा0 1 हैं। अंसार खां अ0सा0 2 अभियुक्त को नहीं जानते और न उनके समक्ष कोई भी जब्ती अभियुक्त से होने का समर्थन करते हैं। सूचक प्रश्नों में दिनांक 30.11.09 को अभियुक्त के आधिपत्य से 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्त किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षी जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 व गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करते हैं किन्तु उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने से इंकार करते हैं। शिवनारायण सिंह अ0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराए गए हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि दिनांक 30.11.09 को दौरान गश्त सूचना मिली


निरीक्षक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन




जिस पर से स्योढा रोड पेट्रोल पंप के सामने एक व्यक्ति को संदेह की हालत में खड़ा देखा था और उस स्थान पर पहुंचने पर अभियुक्त भागने लगा जिसे घेरकर पकड़ा, नाम पता पूछने और तलाशी लेने पर 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला था। प्र०पी० 1 के जब्ती पत्रक व प्र०पी० 2 के गिर० पत्रक पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं।

8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उसके पास से कोई आग्नेय आयुध जब्त नहीं किया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आग्नेय आयुध की जब्ती के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा पुलिस/अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है ऐसे में विश्वास योग्य नहीं हैं। प्रकरण में यद्यपि स्वतंत्र साक्षी अंसार खां अ०सा० 2 द्वारा अभिकथित जब्ती व गिरफ्तारी का कोई समर्थन नहीं किया है फिर भी मात्र पुलिस साक्ष्य होने के आधार पर अभियोजन का मामला पूर्णतः संदिग्ध नहीं हो जाता है, बल्कि पुलिस साक्षी को भी सामान्य साक्षी की भांति विश्लेषित किया जाना आवश्यक है। यह अभिलेख पर दर्शित होना आवश्यक है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कथा पर विश्वास क्यों न किया जावे।

9. प्रकरण में जब्ती कर्ता जे०आर० जुमनानी अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक तैयार किया था। प्र०पी० 1 के जब्ती पत्रक में मौके पर सीलबंद किए जाने का उल्लेख है जबकि साक्षी कण्डिका 3 में बताते हैं कि कट्टा व कारतूस पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर चिट लगाई थी और प्र०पी० 1 पर कोई नमूना सील नहीं है। इस संबंध में आरमोरर राजकिशोर सिंह अ०सा० 5 का कथन ध्यान देने योग्य है जो यह कथन करते हैं कि उन्होंने संबंधित अपराध क्र० 203/09 में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस की जांच की थी जिसमें कट्टा चालू हालत में पाया था साथ ही कारतूस भी फायर योग्य था। अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार करते हैं कि उक्त कट्टा जांच हेतु सीलबंद आया था जबकि प्र०पी० 1 पर कोई नमूना सील जब्तीकर्ता अ०सा० 6 के कथन अनुसार नहीं है। साथ ही आरमोरर कोई जब्ती चिट प्राप्त होने का कथन नहीं करते हैं जबकि अ०सा० 6 जब्तीकर्ता के अनुसार उन्होंने साक्षियों के हस्ताक्षर कराकर जब्ती चिट लगाई थी। ऐसे में उपरोक्त तथ्य अभियोजन कथा के प्रति संदेह उत्पन्न करते हैं।

10. राजकिशोर अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में 315 बोर का कट्टा व 315 बोर का कारतूस चालू हालत में पाए जाने का कथन करते हैं। इस संबंध में परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 5 बनाकर उस पर अपने ए से ए व बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस संबंध में जब्तीकर्ता अ०सा० 6 का कथन ध्यान देने योग्य है जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि अभिकथित आर्टिकल ए 1 व ए 2 पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उन्हें अभियुक्त से जब्त किया गया हो जबकि स्वयं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कट्टा व कारतूस पर जब्ती चिट लगाना बताते हैं। इस प्रकार से अ०सा० 6 का कथन स्वयं विरोधाभासी है। अ०सा० 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार


 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 जिला सिविल पालिका

करते हैं कि कट्टा आर्टिकल ए 1 की नाल उसके ट्रिगर में फिट नहीं हो रही है जबकि यह बताने में अस्मर्थ हैं कि कट्टा फायर योग्य था या नहीं। राजकिशोर अ०सा० 6 जहां उन्हें प्राप्त कट्टा व कारतूस चालू हालत में व फायर योग्य पाए जाने का कथन करते हैं जबकि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए 1 की नाल जब उसके ट्रिगर में फिट नहीं हो रही थी। ऐसे में आग्नेय आयुध जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, चालू हालत में नहीं था। इस प्रकार से आर्टिकल ए 1 व ए 2 क्या आरमोरर के पास जांच हेतु भेजा गया, इस तथ्य में संदेह उत्पन्न हो जाता है।

11. प्रकरण में जब्तशुदा आग्नेय आयुध दिनांक 30.11.09 को जब्त किए जाने के उपरांत आरमोरर राजकिशोर अ०सा० 5 के पास दिनांक 04.12.09 को भेजे जाने के पूर्व किस अवस्था में और कहां रखा गया, इस संबंध में संपूर्ण अभियोगपत्र में कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं। पुलिस थाने का कोई मालखाना नंबर अभियोगपत्र में उल्लेखित नहीं हैं। ऐसे में अभियुक्त से कथित आग्नेय आयुध की जब्ती का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। अ०सा० 6 व रोजनामचा सान्हा वापसी प्र०पी० 6 के रूप में बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। अभिकथित रोजनामचा सान्हा प्र०पी० 6 मूल रोजनामचा सान्हा की नकल नहीं हैं बल्कि सान्हा क्र० 1049 व 1052 की नकल है। बीच के सुसंगत रोजनामचा सान्हा क्र० 1050 व 1051 का कोई उल्लेख प्र०पी० 6 में नहीं हैं। जहां तक रोजनामचा सान्हा प्र०पी० 6 का प्रश्न है तो वह न तो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है और न ही लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के रूप में अभिलेख पर मौजूद है। प्र०पी० 6 प्राइवेट दस्तावेज की भांति मूल से मिलानकर उसके निष्पादक द्वारा प्रमाणित कराया जा सकता था, जो कि नहीं कराया गया है। ऐसे में उसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं हैं।

12. साक्षी मनोज जैन अ०सा० 3 के अनुसार औपचारिक प्रकृति की होकर अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश अधिनियम की धारा 39 के अधीन जारी किए जाने का प्रमाण है। प्र०पी० 4 पर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी एवं बी से बी भाग पर अभियोजन स्वीकृति लिपिक के हस्ताक्षर के संबंध में साक्षी की अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन सुसंगत है जिस पर अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं। मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 4 प्रकरण में विवेचक है जिनकी अभिसाक्ष्य में भी कोई सारवान तथ्य नहीं हैं जिसके आधार पर मामला प्रभावित होता हो।

13. उपरोक्त विवेचन के अनुसार जहां कथित जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 व गिर० पत्रक प्र०पी० 2 की कार्यवाही सार्वजनिक स्थान पर हुई हो, उसका कोई समर्थन स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया है, जब्तीकर्ता के अनुसार मौके पर जब्ती चिट लगाकर आग्नेय आयुध को सीलबंद किए जाने के तथ्य का खण्डन आरमोरर राजकिशोर अ०सा० 5 के अभिसाक्ष्य से हो रहा है, कथित जब्ती कार्यवाही में कोई नमूना सील नहीं लगाई गयी जबकि नमूना सील के अभाव में आग्नेय आयुध की अनन्यता

प्रथम प्रजा
राजिक मजिस्ट्रेट
जिला सिविल कोर्ट



प्रभावित हुई है। कथित जब्तशुदा आग्नेय आयुध आर्टिकल ए 1, जो साक्ष्य में प्रस्तुत हुआ उसकी नाल ट्रिगर में फिट नहीं हो रही थी ऐसे में उसके फायर योग्य होने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है और फायर किए जाने में अयोग्य आग्नेय आयुध के संबंध में कोई अपराध गठित नहीं होता है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्ष्य से अभिपुष्टि के अभाव में जब्तीकर्ता अ0सा0 6 के द्वारा की गयी कार्यवाही का युक्तियुक्त प्रमाण रोजनामचा सान्हा विधिवत प्रमाणित नहीं हैं।

14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा। अतः अभियुक्त रघुराज को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।


15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका दफ़्तर की धारा 437 क के अधीन 6 माह तक प्रमावी रहेगा।


16. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी मिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला, मिण्ड मध्यप्रदेश


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला, मिण्ड मध्यप्रदेश